FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम भीलवाड़ा

लाली बनाम नारायण गाड़ी

धारा बैजनाथ नं. 14 सन् 17

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/17	प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण सं. 16/14 निर्णयदिनांक 23.5.16 डिक्री की पालना में इजराय पेश की, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को भेजी जाने पश्चात पत्रावली दिनांक 16/2/20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	
16-2-18	पत्रावली पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। T.D.R. भीलवाड़ा से डिक्री की पालना प्राप्त नहीं हुई। अतः T.D.R. भीलवाड़ा से डिक्री की पालना निजवार आख्या प्रकरण मंगवाया जावे। वास्ते डिक्री की पालना हेतु पत्रावली दिनांक 18-5-18 को पेश हो।	
23-5-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प हेलड़ पर पेश हुई। न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23-5-2016 की पालना में विभाजन स्कीम तैयार होकर तहसीलदार भीलवाड़ा को प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली की गयी। प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार विवादित राजकीयपथ वादी व प्रतिवादी के नाम दिनांक अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इतनामा पत्र 2933 दिनांक 23-5-18 के द्वारा भी जाब्ता की कोई प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं है। अतः पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।	

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा (राज.)

Scanned by CamScanner